



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227966  
CG-DL-E-29062021-227966

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]  
No. 262]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ 8, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,—

सारणी में,—

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

(क) हरियाणा के नीचे क्रम संख्या 17 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"18	जिला खाद्य प्रयोगशाला, करनाल पंजीकरण सं. 73 / एन / एफएसएसएआई / 2021 सरकारी पौलिक्लिनिक, सेक्टर-16, करनाल-132001	रासायनिक।

19	राज्य खाद्य, जल और एक्साइज प्रयोगशाला, चंडीगढ़, हरियाणा पंजीकरण सं. 77 / एन / एफएसएसएआई / 2021 सेक्टर-11डी, चंडीगढ़, हरियाणा	रासायनिक"।
----	--	------------

(ख) जम्मू एंड कश्मीर के नीचे क्रम संख्या 1 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"2	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जम्मू पंजीकरण सं. 74 / एन / एफएसएसएआई / 2021 पाटोली मंगोत्रियन, जम्मू-180007	रासायनिक ।
3	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, श्रीनगर पंजीकरण सं. 75 / एन / एफएसएसएआई / 2021 डलगेट, श्रीनगर-190001	रासायनिक"।

(ग) (i) राजस्थान के नीचे क्रम संख्या 11 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"12	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा पंजीकरण सं. 71 / एन / एफएसएसएआई / 2021 एम बी एस अस्पताल कैम्पस, आई.एम.ए हॉल के पास, नयापुरा, कोटा-324001, राजस्थान	रासायनिक।
13	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर पंजीकरण सं. 72 / एन / एफएसएसएआई / 2021 सी-27, स्टेशन रोड, जोधपुर, राजस्थान, भारत	रासायनिक।
14	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बांसवाडा, राजस्थान पंजीकरण सं. 76 / एन / एफएसएसएआई / 2021 महात्मा गांधी अस्पताल कैम्पस, बन्स्वारा, राजस्थान-327001	रासायनिक।
15	खाद्य सुरक्षा और मानक प्रयोगशाला, अलवर, राजस्थान पंजीकरण सं. 78 / एन / एफएसएसएआई / 2021 राजीव गांधी अस्पताल कैम्पस, अलवर-301001, राजस्थान	रासायनिक"।

(ii) राजस्थान के नीचे क्रम संख्या 9 में प्रत्यायन के क्षेत्र के नीचे "जैविक" शब्द को विलोपित माना जाएगा ।

(घ) उत्तर प्रदेश के नीचे क्रम संख्या 12 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"13	क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश पंजीकरण सं. 79 / एन / एफएसएसएआई / 2021 बमरौली कटारा, हेरिटेज इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट के पास, फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश-282006	रासायनिक"।

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में, गुजरात के नीचे क्रम संख्या 14 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“15	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सूरत नगर निगम, सूरत, गुजरात पंजीकरण सं. 57 / डब्लू / एफएसएसएआई / 2021 304, आंबेडकर शौपिंग सेण्टर, मन दरवाजा, रिंग रोड, सूरत, गुजरात-395003	रासायनिक
16	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, वडोदरा नगर निगम, वडोदरा, गुजरात पंजीकरण सं. 58 / डब्लू / एफएसएसएआई / 2021 वडोदरा नगर निगम, प्रथम एवं द्वितीय तल पुराना बुडा इमारत, फतेहगंज, वडोदरा-390002	रासायनिक”।

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में, तमिल नाडू के नीचे क्रम संख्या 21 में प्रत्यायन के क्षेत्र के नीचे “जैविक” शब्द को विलोपित माना जाएगा”।

4. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में,

- (i) पश्चिम बंगाल के नीचे क्रम संख्या 10 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“11	केंद्रीय प्रयोगशाला (खाद्य) , कोलकाता नगर निगम प्रयोगशाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पंजीकरण सं. 15 / ई / एफएसएसएआई / 2021 कोलकाता नगर निगम, 1 ए, हाँग गली, कोलकाता 700087, पश्चिम बंगाल	रासायनिक”।

- (ii) “त्रिपुरा” की प्रविष्टि से पूर्व, संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“1	राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, नागालैंड पंजीकरण सं. 16 / ई / एफएसएसएआई / 2021 पैरामेडिकल कॉलोनी, कोहिमा, नागालैंड, भारत	रासायनिक”।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./125/2021-22 ]

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:—

- (i) का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;

- (iv) का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- (viii) का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- (ix) का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- (x) का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
- (xi) का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
- (xii) का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2019;
- (xiii) का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 8 मई, 2019;
- (xiv) का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 2019;
- (xv) का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
- (xvi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
- (xvii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
- (xviii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 4 दिसम्बर, 2020;
- (xix) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
- (xx) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
- (xxi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021 और
- (xxii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 2 जून, 2021।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2021

**F. No. 12012/01/2019-QA.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016, namely: —

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION,

a) under *Haryana* after serial number 17, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“18	District Food Laboratory, Karnal Reg. No. 73/N/FSSAI/2021 Govt. Polyclinic, Sector-16, Karnal-132001	Chemical
19	State Food, Water & Excise Laboratory, Chandigarh, Haryana Reg. No. 77/N/FSSAI/2021 Sector-11D, Chandigarh, Haryana	Chemical ”

b) under **Jammu & Kashmir** after serial number 1, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“2	Public Health Laboratory, Jammu, Reg. No. 74/N/FSSAI/2021 Patoli Mangotrian, Jammu-180007	Chemical
3	Public Health Laboratory, Srinagar, Reg. No. 75/N/FSSAI/2021 Dalgate, Srinagar-190001	Chemical ”

c) i) under **Rajasthan** after serial number 11, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“12	Public Health Laboratory, Kota Reg. No. 71/N/FSSAI/2021 MBS Hospital campus near I.M.A hall, Nayapura, Kota-324001, Rajasthan	Chemical
13	Public Health Laboratory, Jodhpur Reg. No. 72/N/FSSAI/2021 C-27, Station Road, Jodhpur, Rajasthan, India	Chemical
14	Public Health Laboratory, Banswara, Rajasthan Reg. No. 76/N/FSSAI/2021 Mahatma Gandhi Hospital Campus, Banswara, Rajasthan-327001	Chemical
15	Food Safety & Standards Lab, Alwar, Rajasthan Reg. No. 78/N/FSSAI/2021 Rajeev Gandhi Hospital Campus, Alwar- 301001, Rajasthan	Chemical”

ii) under **Rajasthan** in serial number 9, under scope of accreditation “Biological” word shall be deleted”

d) under **Uttar Pradesh** after serial number 12, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“13	Regional Public Analyst Laboratory, Fatehabad, Agra, Uttar Pradesh Reg. No. 79/N/FSSAI/2021 Bamrauli Katara. Near heritage institute of Hotel Management, Fatehabad, Agra, Uttar Pradesh-282006	Chemical ”

2. in 'B' related to WESTERN REGION, under *Gujarat* after serial number 14, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"15	Public Health Laboratory, Surat Municipal Corporation, Surat, Gujarat Reg. No. 57/W/FSSAI/2021 304, Ambedkar Shopping Center, Man Darwaja, Ring Road, Surat, Gujarat-395003	Chemical
16	Public Health Laboratory, Vadodara Municipal Corporation, Vadodara, Gujarat Reg. No. 58/W/FSSAI/2021 Vadodara Municipal Corporation, 1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> Floor Old Vuda Building, Fatehgunj, Vadodara-390002	Chemical".

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION, under Tamil Nadu in serial number 21, under scope of accreditation "Biological" word shall be deleted".

4. In 'D' related to EASTERN REGION,

i) under *West Bengal* after serial number 10, the following entries shall be inserted in respective columns namely. —

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"11	Central Laboratory (Food), Kolkata Municipal Laboratory, Kolkata, West Bengal Reg. No. 15/E/FSSAI/2021 Kolkata Municipal Corporation, 1A, Hogg Street, Kolkata 700087, West Bengal	Chemical".

ii) before the entry of "Tripura", the following entries shall be inserted in respective columns namely. —

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"1	State Public Health Laboratory, Nagaland Reg. No. 16/E/FSSAI/2021 Paramedical Colony, Kohima, Nagaland, India	Chemical".

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./125/2021-22]

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:—

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017,
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017,
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017,
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017,
- v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017,
- vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017,
- vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017,
- viii. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018,
- ix. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018,
- x. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018,

- 
- xi. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018,
  - xii. S.O. number 1377(E) dated 8th March, 2019,
  - xiii. S.O. number 1722 (E) dated 8th May, 2019
  - xiv. S.O. number 2842 (E) dated 6th August, 2019
  - xv. S.O. number 3428 (E) dated 18th September, 2019
  - xvi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13th February, 2020
  - xvii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23rd July, 2020,
  - xviii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4th December, 2020,
  - xix. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 12th January, 2021,
  - xx. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th February, 2021 and
  - xxi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th March, 2021
  - xxii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 2nd June, 2021